न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बून्दी

पीठासीन अधिकारी — श्री ओम प्रकाश जांगीड़

34

प्रकरण	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10/प्रा.प./2010	19.1.2010	1.11.2012

उनवान—

1. मूर्ती मंदिर श्री मुरलीधर जी (कृष्ण भगवान) महाराज ग्राम महराणा तह0 बून्दी जर्ये संरक्षक एवं व्यवस्थापक प्रतिनिधि ग्राम वासियान ग्राम महराना
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र उद्धा जी जाति मीणा नि. महराणा
3. बिरधीलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा नि. महराणा
4. रामचन्द्र पुत्र कालू जी जाति मीणा नि. महराणा
5. मोहनलाल पुत्र राधा जी जाति मीणा नि. महराणा
6. माधो लाल पुत्र गेन्दा जाति मीणा नि. महराना
7. सूरजमल पुत्र नाथू जाति प्रजापत नि. ग्राम महराना तह. एवं जिला बून्दी

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. महराना
2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. महराना
3. रामकिशन पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. महराना
4. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. महराना तह. एवं जिला बून्दी
5. इन्द्रा बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि रघुवीर जाति ब्राहमण नि. ग्राम महराना हाल नि. ग्राम सावन —भादो तह. सांगोद जिला कोटा
6. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी
7. यूनाईटेड कोर्मशियल बैंक कोटा जर्ये मेनेजर कोटा

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,88,89 राज.टी.एक्ट
एवं धारा 125 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट (इन्द्राज दुरूस्ती)
वाद पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 1 जा. दी.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टी0एक्ट
वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर

उपस्थित— प्रार्थीगण की और से वकील श्री रविन्द्र सहाय, भूपेन्द्र सहाय
अप्रार्थीगण की और से वकील श्री रणवीर सिंह

:: निर्णय ::

आज यह कार्यवाही वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि जमाबंदी सम्वत् 1994 से 2000 के अनुसार ग्राम महराना तह. बून्दी में उस समय के ख. नं. 204 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, ख. नं. 205 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 318 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी जो मंदिर श्री मुरलीधर जी स्थान देह जर्ये पुजारी रामचन्द्र वल्द गोपाल कोम ब्राहमण खडेरवाल सा. देह माफी देवस्थान बिला चोथान दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत् 2020—23 अनुसार भी उक्त कृषि भूमि मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज

Scanned with CamScanner

देह के नाम चलती रही। सम्वत् 2020 में ग्राम महराना में बन्दोबस्त(सेटलमेन्ट) की या प्रारम्भ हो गई थी, उस समय पुजारी रामचन्द्र का देहान्त हो चुका था इसलिये खसरा बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बरान कायम करते हुए उक्त कृषि भूमि को नवीन ख. नं. 208 रकबा 14 बीघा18 बिस्वा, ख.नं.209 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा,ख.नं. 623 रकबा 8 बिस्वा को मृतक पुजारी रामचन्द्र के स्थान पर उसके पुत्र मन्ना का नाम लिख दिया गया। बन्दोबस्त(सेटलमेन्ट) अधिकारियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के अर्थात् मूर्ती मंदिर मुरलीधर जी महाराज की जमीन उस मंदिर मूर्ती के पुजारी अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर व्यक्तिगत रूप से खाते दर्ज करने का अधिकार न होते हुए भी पुजारी रामचन्द्र के पुत्र मन्ना के नाम से भू प्रबन्ध की खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2047 में परिवर्तित नवीन खसरा नं. 208 रकबा 14 बीघा18 बिस्वा, ख.नं.209 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा,ख.नं. 623 रकबा 8 बिस्वा को मन्ना वल्द रामचन्द्र कोम ब्राहमण सा. देह के नाम से उसकी अन्य भूमियों के साथ खाते दर्ज कर दिया। बन्दोबस्त कर्मचारियों का यह कार्य नितान्त अवैध एवं गैरकानूनी था। नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–47 में मूर्ती मंदिर की भूमि मन्ना वल्द रामचन्द्र के नाम पर दर्ज किये जाने का कोई नामान्तरकरण भी रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा तस्दीक नही किया गया था। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 मृतक मन्ना के पुत्र भंवरलाल के पुत्र व पुत्री है जिन्होंने अवैध रूप से उक्त विवादित भूमि को अपने नाम पर खाते दर्ज करा लिया है। केचमेन्ट प्रक्रिया में ख. नं. 208 रकबा 14 बीघा18 बिस्वा, ख.नं.209 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा को केचमेन्ट के नवीन ख.नं. 1162 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं.1239 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में शामिल करके पहले भंवरलाल वल्द मन्ना लाल के नाम से उसके खाते में तथा भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र–पुत्रियों अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के नाम उनके खाते में दर्ज किया जा चुका है। नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 एवं सम्वत् 2062–65 में ख. नं. 623, 1162 एवं 1239 को यूनाईटैड कार्मशियल बैंक कोटा के नाम मु.बि.क. लिखा हुआ है। मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज ग्राम महराना सभी ग्राम वासियान महराना की आस्था का केन्द्र है। ग्राम वासियान महराना को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वे रेकार्ड ऑफ राइट (जमाबन्दी) में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर मूर्ती मंदिर की जमीन को अप्रार्थीगण के खाते में से निकलावकर वापस मूर्ती मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज स्थान महराना के नाम से खाते दर्ज कराने एवं कब्जा प्राप्त करके कृषि भूमि से होने वाली आय को मंदिर की मरम्मत, तेल–भोग सेवा पूजा में लगाया जावे। विवादित भूमि को न्यायहित में रिसीवरी के कब्जे में दे दी जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.प. के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल की प्रति, अखबार राजमार्ग की प्रति, राजस्थान सरकार क्रमांक 2(4) राज./4/90/37 दिनांक 13.12.91 की प्रति, जमाबन्दी सीमा माल महराना सम्वत् 1994–2000, जमाबंदी खतोनी सम्वत् 2020–23, खसरा भू प्रबन्ध(सेटलमेंट) विभाग ग्राम महराना ख.नं. 209,208,623, मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम मेहराना, खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2028–47 ग्राम महराना, जमाबन्दी ग्राम महराना सम्वत् 2033–35,2058–61,2062,–2065 तथा बिरधीलाल पुत्र गोविन्दा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 तथा 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि ग्राम महराना में आराजी ख.सं. 204,205,318 कुल 25 बीघा 5 बिस्वा पर अप्रार्थीगण सं. 1से 5 का उनके पूर्वजो के समय से पिछले 200 सालों से कब्जा चला आ रहा है । अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 पुजारी होने के कारण सेटलमेण्ट से पूर्व एवं राज0 टीनेन्सी एक्ट से पूर्व का कब्जा होने के कारण अप्रार्थीगण के पूर्वजों का वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। मंदिर मूर्ति की सारी व्यवस्था तथा तेल भोग अप्रार्थीगण 1से 5 अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। तेल भोग की व्यवस्था ग्राम वारिसयान नही करते। केचमेण्ट कार्य समाप्त होने के पश्चात् दखल नामा व कब्जे विवादित आराजी का अप्रार्थीगण को संभलाया गया था और वे बहैसियत खातेदार

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आरांजी को हड़पने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक कोटा के यहाँ से रहन से गुजाश्त हो चुकी है और इसका इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। रिसीवर नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का स्पष्टतया वर्णन होना चाहिये एवं इन तथ्यों को अपने एवरमेण्ट के द्वारा प्रमाणित करने भी आवश्यक होती है, लेकिन इन तीनों बिन्दुओं का रिसीवर नियुक्ति के आवेदन में समावेश प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये रिसीवर नियुक्ति के संबंध में उनके द्वारा चाही गयी सहायता कानूनी तौर पर प्रदान नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से रामनिवास, बाबूलाल,रामकिशन,सत्यनारायण तथा इन्द्रा बाई के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी सम्वत 1994–2000 एवं 2020–23 तक मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज थी तथा सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचन्द्र के नाम दर्ज हो गई जो रामचन्द्र के मरने पर उसके पुत्र मन्ना को एवं तत्पश्चात भंवर लाल के खाते में आई तथा उसकी भी मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के खाते में दर्ज हुई है जो सेटलमेंट के समय गलती से दर्ज हुई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से मूर्ति मंदिर की भूमि पर अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है जिन्हें हटाया जाकर भूमि रिसीवर के कब्जे में दे दी जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 319 एवं आर.आर.डी 1999 पेज 65,475 की नजीरे पेश की गई ।

वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण 1 से 5 रेकार्डेड खातेदार है तथा मूर्ति मन्दिर हेतु तेल भोग की व्यवस्था भी अप्रार्थीगण ही कर रहे है,भूमि पर कब्जे को लेकर कोई विवाद मौके पर नहीं है ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त आराजी को रिसीवर को दिया जाता है तो अप्रार्थीगण का नुकसान होगा।

बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस उभय पक्ष से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार है,लेकिन ग्राम महराणा की जमाबन्दी सम्वत 1994–2000 एवं सम्वत 2020–23 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि उक्त आराजी मन्दिर मूर्ति के खाते में दर्ज थी जो बन्दोबस्त के समय अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचन्द्र के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त के बाद अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के खातेदारी में दर्ज हुई है इसी बात को लेकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानते हुये भूमि कब्जे राज ली जाकर भूमि पर रिसीवर नियुक्त करवाना चाहा है,लेकिन प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है और न ही भूमि इन मिडियो है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो ।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Scanned with CamScanner